129.

संख्या. 1525/ एक-10-2021-33(221)2011 टीसी-4

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 01 नवम्बर 2021

विषयः- कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त 855 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर क्रय करने के लिये एस0डी0आर0एफ0 से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव चिकित्सा अनुभाग-६, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1934/पांच-6-2021, दि0 13 अगस्त 2021 के सन्दर्भ में कोविड 19 की रोकथाम हेतु प्रदेश के समस्त 855 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के माध्यम से ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर क्रय करने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 **76,80,36,540/-** (रू0 छिहत्तर करोड़ अस्सी लाख छत्तीस हजार पांच सौ चालीस मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(२) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य कार्यकारिणी समिति की दि0 06-10-2021 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयानुसार पुलिस विभाग को, आवश्यक होने पर आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर, गृह विभाग की सस्तुति पर चिकित्सा विभाग के माध्यम से मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा क्रय किए गए उपरोक्त 17100 कन्सन्ट्रेटर में से ही उपलब्ध कराया जाएगा।

2- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रु0 **76,80,36,540/-** (रु0 छिहत्तर करोड़ अस्सी लाख छत्तीस हजार पांच सौ चालीस मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या- 1525(1)/एक-10-2021-33(221)/2011 टीसी-4, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ,उ0प्र0 शासन ।
3- प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग ,उ0प्र0 शास।
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7- वरिष्ठ वित एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
8- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन),उ0प्र0 शासन।
9- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
10- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-02/11/2021

प्रेषण संख्या:- 1525
आवंटन आदेश संख्या:- 129-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6073-प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 मेडिकल सप्लाईज कारपोरैशन , लखनऊ-01-a	वर्तमान प्रगामी	768036540 1317536540	768036540 1317536540
	योग	वर्तमान प्रगामी	768036540 1317536540	768036540 1317536540

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छिहत्तर करोड़ अस्सी लाख छत्तीस हजार पाँच सौ चालीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब इकत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख छत्तीस हजार पाँच सौ चालीस

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।